



आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
<p>9/7/19</p>	<p style="text-align: center;">न्यायालय, अपर समाहर्ता-सह-आर्बिटेटर, धनबाद आर्बिट्रेशन केश नं०-01/2019</p> <p style="text-align: center;">-बनाम्- भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्रधिकरण एवं अन्य</p> <p>प्रशांत तुलस्यान</p> <p>दावेदार के आवेदन के आलोक में गोविन्दपुर अंचल अन्तर्गत मौजा-जियलगोड़ा, थाना नं०-129, खाता नं०-30, प्लॉट नं०-334, रकवा-0.0210 एकड़ भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ-2 के 6 लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उसपर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।</p> <p>आवेदक द्वारा लिखित एवं मौखिक पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि अर्जित भूमि का आवासीय दर पर मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है, जबकि उक्त भूमि पर Cook Cutting Plant तथा अन्य प्रकार के संरचना भी अवस्थित है। आवेदक द्वारा अर्जित भूमि का व्यवसायिक दर पर मुआवजा राशि का भुगतान करने तथा अवस्थित संरचनाओं का पुर्नमूल्यांकन कराने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>NHAI द्वारा आवेदक के ब्यान को Not Maintainable बताकर वाद को अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि वास्तविकता की जाँच आवश्यक है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/NHAI वास्तविकता की जाँच करते हुए भूमि की वास्तविक प्रकृति के आधार पर निर्धारित बाजार दर के अनुसार अर्जित भूमि एवं उसपर अवस्थित सभी प्रकार के संरचनाओं का पुर्नमूल्यांकन कर देय मुआवजा राशि आवेदक को नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;">  अपर समाहर्ता -सह- आर्बिट्रेटर धनबाद। </p> <p style="text-align: right;">  अपर समाहर्ता -सह- आर्बिट्रेटर धनबाद </p>	